न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2023 निर्णय दिनांकः 19-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2023/121)

1. सरस्वती पत्नी श्री देवीलाल जाति नायक निवासी अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–08–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 11–08–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 5 बीडीवाई का मुरब्बा नम्बर 210/62 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र नही होने तथा निर्वाचन सूची 1988 नही होने के कारण वरियता में नही आने के आधार पर अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सबूतों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा न ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट मूल निवास प्रमाण पत्र नही होने तथा निर्वाचन सूची 1988 नही होने के कारण वरियता में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि अपीलांट उक्त आवेदित रकबे में वरियता में भूमि आवंटित नहीं करवा सका है तो विशेष आवंटन के नियमों के तहत अपीलांट आज भी भूमि पाने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट का पेशा खेती का है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्नाकिंत आधारो पर खारिज किया गया है–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र नही होने।
2. निर्वाचन सूची 1988 पेश नही।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा सद्भाविक कृषक होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची राशन कार्ड, निर्वाचक पहचान पत्र, आदि समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किय है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन मूल निवास प्रमाण पत्र नही होने तथा निर्वाचन सूची पेश नही होने पर अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया और अपीलांट को इस संबंध में कोई सूचना नही दी गई। अपीलांट को बिना सुने अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। अपीलांट को प्रकरण में तारीख पेशी नही बताई केवल मात्र आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि पत्रावली बाद में पेश हो तथा सीधे पत्रावली दिनांक 11–08–2008 को तारीख पेशी में लेकर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है।

अपीलांट द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति व निर्वाचन सूची 1988 की प्रति पेश की है। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जॉच करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 19-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर